नम्बर
अहकाम
की तामील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर कामां (भरतपुर)

बइजलास श्री रामकिशोर मीणा R.A.S.

वाद सं. 39/16

कृषि उपज मण्डी समिति कामां जरिये सचिव कृषि उपज मण्डी समिति कामां जिला भरतपुर

वादी

बनाम

1—राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर

2—तहसीलदार तहसील कामा

3—रामेश्वर दास अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री मनोहरलाल जाति महाजन मूल निवासी भुसावर, जिला भरतपुर हाल निवासी फलैट संख्या 8 ए/14 अनुपमा हाउसिंग कॉम्पलैक्स, वी.आई.पी रोड कलकता 52

प्रतिवादी गण

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 04.07.2019

प्रतिवादी नं0 3 के अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा दावा गलत तथ्यों के आधार पर खिलाफ कानून पेश किया है । विवादित आराजी के सम्बन्ध में वादी को कोई वाद कारण पैदा नहीं होता है । वादी जिस भूमि को अपनी होने का कथन कर रहा है वह जमीन वादी की नहीं है जो जमीन कृषि उपज मण्डी के लिये अवाप्त की गई है । वह विवादित स्थल नहीं है सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा खसरा नम्बर 253 सही जगह पर दिखाया गया है पूर्व में खसरा 253 वाली जमीन है खसरा नम्बर 7141 /4650 रही है जिस पर प्रतिवादी का ही कब्जा हमेशा से रहा है वादी का कभी कब्जा नहीं रहा है । वादी विवादित स्थान के सम्बन्ध में प्रतिवादी के खिलाफ कोई वाद कारण पैदा नहीं होता है न्यायालय श्रीमान ए0डी0जे0 कामां से विवादित आराजी का फैसला भी प्रतिवादी नं 3 के हक में हो चुका है । वादी का दावा अन्तर्गत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किये जाने योग्य है । वादी अधिवक्ता ने जबाव पेश किया कि यह दावा प्रतिवादी नं0 3 के प्रार्थना पत्र में दर्ज कथन हस्व आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में दिये गये किसी भी सब क्लोज के अन्तर्गत नहीं आते है । प्रतिवादी नं0 3 ने जो ऐतराज अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज किये है उनको उठाने का अधिकार प्रतिवादी नं0 3 को अपने जबाव दावा में है । प्रतिवादी न0 3 ने अपने जबाव दावा पेश करने से बचने के लिये पेश किया है जो काबिले खारजी के है । जिस पर बहस सुनी गयी । प्रतिवादी नं0 3 ने अपने लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वादी द्वारा 41.15 हैक्टर पर का चार दीवार बनी हुई है । तथा 2 बीघा 2 विस्वा आराजी सडक एवं खाली पडी हुई है । इस सम्बन्ध में माननीय अपर जिला न्यायाधीश कामां ने रामेश्वरदास बनाम श्रीमान सन्ता व अन्य दीवानी प्रकरण संख्या 10/2015 के अपने निर्णय दिनांक 17.11.2018 को

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज0

किया जाकर दावा खारिज योग्य है । दावा पर 2 बीघा पर दावा करने का अधिकार नहीं है अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को स्वीकार किया जाकर दावा खारिज योग्य है । वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जबाव के लिखित तथ्यों को बताते हुए प्रतिवादी नं0 3 के प्रार्थना पत्र में दर्ज कथन हस्व आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में दिये गये किसी भी सब क्लोज के अन्तर्गत नहीं आते हैं । प्रतिवादी नं0 3 ने जो ऐतराज अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज किये है उनको उठाने का अधिकार प्रतिवादी नं0 3 को अपने जबाव दावा में है । प्रतिवादी नं0 3 ने अपने जबाव दावा पेश करने से बचने के लिये पेश किया है जो काबिले खारजी के है । तथा आर0आर0डी के पेज नं0 747राम कुमार व अन्य बनाम मनीराम एवं आर0 एल0डब्लू0 के पेज नं0 छोटी (श्रीमती)बनाम सतपालसिंह एण्ड अन्य की दलील पेश की है ।

हमने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं पत्रावली का अवलोकन किया । तथा बहस पक्षकारान की सुनी । वादी द्वारा प्रस्तुत दावा में जिस भूमि को अपनी होने का कथन कहा है उस सम्बन्ध वादी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है । वादी अवाप्त शुदा आराजी पर खातेदार दर्ज रिकार्ड है । अवाप्त शुदा नक्शा पेश किया उसमें भी आराजी सिवाय चक दर्ज हैं । अवाप्त शुदा नक्शा का अवलोकन करने पर पाया कि कृषि उपज मण्डी समिति कामां की अवाप्त जमीन आयातकार है जबकि विवादित भूमि आयाताकार अकृति से अलग हिस्से में प्रदर्शित है । अतः तार्किक रूप से कृषि उपज मण्डी की आयाताकार अवाप्त शुदा जमीन का विवादित भूमि नहीं होना प्रतीत होता है । अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के सब क्लोज (क) कि जहा वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है । लागू होता है । प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को स्वीकार किया जाकर दावा खारिज योग्य समझते है ।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को स्वीकार किया जाता है । तथा दावा खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, कामां